[2021] 7 एस. सी. आर 243

नुरूला खान

वी.

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एएनआर।

(2021 की आपराधिक अपील No.599)

13 जुलाई, 2021

[उदय उमेश ललित और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974। 43 , 44 , 47 और 48-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 197 –

ग्राम पंचायत और अपीलार्थी, जो संबंधित समय में उक्त ग्राम पंचायत के मुख्य अधिकारी थे, पर आरोप लगाया गया था

यू/एस. एस. द्वारा दंडनीय अपराध किए गए। 43 और 1974 के अधिनियम सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के 44

अपीलार्थी को अपराधों का दोषी पाया गया-हालाँकि, अतिरिक्त

सत्र न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी यू/के अंतर्गत संरक्षण का हकदार था। Cr.P.C का s.197 और आवश्यक मंजूरी के अभाव में, उनका अभियोजन अमान्य था-उच्च न्यायालय ने लिए गए विचार को दरकिनार कर दिया।

निचली अपीलीय अदालत द्वारा और चूंकि मामले पर निचली अपीलीय अदालत द्वारा गुण-दोष पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने गुण-दोष पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को निचली अपीलीय अदालत को वापस भेज दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः यदि संबंधित लोक सेवक नगर परिषद का मुख्य अधिकारी या आयुक्त होता है या नगर पंचायत, उसे सख्ती से "सरकार के विभाग का प्रमुख" नहीं कहा जा सकता है-इसलिए, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में। बी. हीरा नाइक, मामला यू/एस में नहीं आएगा। 48 जल अधिनियम का-लेकिन मामला सीधे यू/एस में आएगा। 47 जल अधिनियम का-उक्त निर्णय के अनुसार, ऐसे मामलों में भी, कल्पना उपलब्ध है। 47 जल अधिनियम लोक सेवक को अधिकार से वंचित कर देगा

सुरक्षा यू/एस। 197 संहिता-इसलिए, उच्च न्यायालय निचली अपीलीय अदालत के निर्णय को दरकिनार करने में सही और उचित था, जो विशुद्ध रूप से एस की प्रयोज्यता के मुद्दे पर आधारित था। 197 इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को निचली अपीलीय अदालत को भेज दिया।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. उच्चतम न्यायालय के विभिन्न फैसलों से जो सामने आता है वह हैः

ए. यदि जल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किसी विभाग के हाथों में था, तो उनकी संतुष्टि के अधीन

जल अधिनियम की धारा 48 के तहत "विभाग के प्रमुख" को दोषी माना जाएगा। यह निश्चित रूप से उन बचावों के अधीन होगा जो यह स्थापित करने के लिए उसके पास उपलब्ध हैं कि क्या विचाराधीन अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

बी। वी. सी. चिन्नाप्पा गौदर में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर, जल की धारा 48 के तहत काल्पनिक होने के कारण

अधिनियम, संहिता की धारा 197 के तहत संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा और मामले को इस तरह के संरक्षण के लिए माना जाना चाहिए।

सी। यदि संबंधित लोक सेवक किसी नगर परिषद या शहर का मुख्य अधिकारी या आयुक्त होता है

पंचायत, उसे सख्ती से "सरकार के विभाग का प्रमुख" नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, बी. हीरा नाइक में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में, मामला जल अधिनियम की धारा 48 के तहत नहीं आएगा। लेकिन मामला सीधे जल अधिनियम की धारा 47 के तहत आएगा। उक्त निर्णय के अनुसार, ऐसे मामलों में भी, धारा के तहत काल्पनिक कथा उपलब्ध है।

47 जल अधिनियम की धारा लोक सेवक को संहिता की धारा 197 के तहत संरक्षण से वंचित कर देगी।

डी। यदि अपराधी लोक सेवकों के अलावा अन्य हैं या जहां प्रमुख अपराधी निजी क्षेत्रों में निगमित संस्थाएं हैं,

धारा 197 के तहत संरक्षण का सवाल ही नहीं उठेगा। [पैरा 11] [248-ई-एच; 249-ए-सी]

2. यदि यह न्यायालय इन अभिधारणाओं के आलोक में वर्तमान मामले पर विचार करता है, तो मामला पूरी तरह से बी. हीरा नाइक में इस न्यायालय का निर्णय। [पैरा 12] [249-सी-डी]

3. इसलिए, उच्च न्यायालय ने निचली अपीलीय अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया, जो विशुद्ध रूप से संहिता की धारा 197 के लागू होने के मुद्दे पर आधारित था। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को निचली अपीलीय अदालत को भेज दिया। [पैरा 13] [249-डी-ई] नूरुल्ला खान बनाम।

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड

वी. सी. चिन्नाप्पा गौदर बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड, (2015) 14 एस. सी. सी. 535; कर्नाटक राज्य

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v. बी. हीरा नाइक, (2020) 16

एससीसी 298: [2019] 17 एस. सी. आर. 305-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

(2015) 14 एस. सी. सी. 535

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

[2019] 17 एससीआर 305

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का No.599

उच्च न्यायालय के 13.03.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 की आपराधिक अपील No.2637 में कर्नाटक की धारवाड़ पीठ।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एएसजी, शैलेश मडियाल, सुधांशु प्रकाश,

सुश्री राखी एम., वैभव सभरवाल, सुश्री श्रुति अय्यर, सुश्री अर्चना पाठक दवे, रजत नायर, अरविंद कुमार शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, एस. जे. अमित, विक्रम हेगड़े, सुश्री ब्रुंडा के. एल., शांतनु लखोटिया, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 13.03.2020 द्वारा पारित आदेश को चुनौती देती है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ पीठ, 2011 की आपराधिक अपील No.2637 में।

3. संदूर ग्राम पंचायत, संदूर, जिला बेल्लारी, कर्नाटक

और अपीलार्थी, जो संबंधित समय में उक्त ग्राम पंचायत का मुख्य अधिकारी था, पर जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (संक्षेप में "जल अधिनियम") की धारा 43 और 44 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

4. सिविल द्वारा पारित 28.04.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा

2002 के सी. सी. No.375 में न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, संदूर, अपीलार्थी को उन अपराधों का दोषी पाया गया था जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था और उसे साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी।

एक वर्ष और छह महीने के लिए और दोनों गणनाओं पर Rs.1000/- का जुर्माना देना। सजाएँ साथ-साथ चलनी थीं।

21] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. अपीलार्थी द्वारा की गई अपील को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेल्लारी द्वारा उनके दिनांकित आदेश द्वारा केवल इस आधार पर स्वीकार किया गया था कि एक लोक सेवक होने के नाते, अपीलार्थी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "संहिता") की धारा 197 के तहत संरक्षण का हकदार था और आवश्यक मंजूरी के अभाव में, उसका अभियोजन अमान्य था।

6. मूल शिकायतकर्ता (कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण)

बोर्ड) पीड़ित होने के कारण, कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ पीठ के समक्ष 2011 की आपराधिक अपील दायर की। अपने निर्णय और दिनांक 1 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने निचली अपीलीय अदालत द्वारा लिए गए विचार को दरकिनार कर दिया। चूंकि मामले पर निचली अपीलीय अदालत द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को निचली अपीलीय अदालत को वापस भेज दिया।

7. अपने फैसले के दौरान, उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिखित रूप में दिए गए फैसले पर भरोसा किया

2008 की याचिका No.30610 (वी. सी. चिनप्पा गौदर बनाम। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एक अन्य) और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संहिता की धारा 197 के तहत सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी।

8. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश मडियाल, मूल शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी को सुना जिन्होंने हमारे अनुरोध पर हमारी कुशलता से सहायता की।

9. 2008 की रिट याचिका No.30610 में उच्च न्यायालय द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया था, उसे वी. सी. चिन्नाप्पा गौदर बनाम में सीधे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1. उस निर्णय में, इस न्यायालय ने जल अधिनियम की धारा 48 के दायरे और प्रयोज्यता पर विचार किया और पाया कि "विभाग के प्रमुख" को प्रावधान के आधार पर दोषी माना जाएगा और इस तरह, संहिता की धारा 197 के तहत संरक्षण को बाहर रखा जाएगा। इस मुद्दे पर प्रासंगिक चर्चा इस प्रकार थीः

" 6. उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के विपरीत, श्री ए. मारियारपुथम, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारा ध्यान आकर्षित किया

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 5 और 1974 के अधिनियम की धारा 48 में तर्क दिया गया है कि धारा 48 के तहत एक खंडन योग्य धारणा है जहां तक - अपराध का अपराध प्रमुख के खिलाफ है किए गए किसी भी अपराध के संबंध में विभाग

1 1 (2015) 14 एस. सी. सी. 535 ओरुल्ला खान बनाम।

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड [उदय उमेश ललित, जे।]

सरकार के किसी भी विभाग द्वारा और वह, यदि धारा 197

सरकारी विभाग के प्रमुख के खिलाफ कार्यवाही के लिए भी मंजूरी को अनिवार्य माना जाता है, यह सीधे तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 5 के साथ टकराव होगा और इसके परिणामस्वरूप 1974 के अधिनियम की धारा 60 आकर्षित हो जाती है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, यदि धारा 197 का आवेदन आकर्षित माना जाता है और अभियोजन द्वारा मंजूरी से इनकार किए जाने की स्थिति में यह 1974 के अधिनियम की धारा 48 में निहित कल्पित कल्पना के संचालन के लिए एक बाधा होगी। इसलिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि ऐसी स्थिति में 1974 के अधिनियम की धारा 48 का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के साथ सीधा टकराव होगा और इसके परिणामस्वरूप 1974 के अधिनियम की धारा 60 लागू होगी जिसका किसी भी अन्य अधिनियम पर प्रबल प्रभाव पड़ता है।

1974 के अधिनियम के अलावा।

7. संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हम उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ए. मारियारपुथम के प्रस्तुत करने में बल पाते हैं। जैसा कि धारा 48 के तहत विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सही बताया गया है, अपराध को उस समय किया गया माना जाता है जब 1974 के अधिनियम के तहत सरकारी विभाग के विभाग के प्रमुख के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया जाता है। यह एक खंडन योग्य धारणा है और धारा 48 के परंतुक के तहत विभाग के प्रमुख को यह प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या इस तरह के अपराध को रोकने के लिए उचित परिश्रम के बावजूद, ऐसा ही किया गया। यह कहने से बहुत अलग है कि 1974 के अधिनियम की धारा 48 के प्रावधान के तहत प्रदान की गई सुरक्षा किसी भी तरह से सरकारी विभाग के विभाग के प्रमुख को धारा 197 सी. आर. पी. सी. के तहत आपत्ति दर्ज करने में सक्षम बनाएगी और अगर ऐसा करने की अनुमति दी जाती है जो निश्चित रूप से इसके तहत बनाई गई कल्पित शक्ति के साथ संघर्ष करेगा।

1974 के अधिनियम की धारा 48।

8. इस संदर्भ में, जब हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 5 का उल्लेख करते हैं, तो उक्त धारा यह स्पष्ट करती है कि इसके विपरीत विशिष्ट प्रावधानों के अभाव में दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ भी निहित नहीं है। लागू किए जाने के लिए निर्धारित किसी विशेष प्रपत्र या प्रक्रिया के लिए प्रावधान करने वाले किसी विशेष या स्थानीय कानून को प्रभावित करेगा। 1974 के अधिनियम के तहत एक लोक सेवक के खिलाफ कार्यवाही के लिए किसी भी मंजूरी के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जहां 1974 के अधिनियम के तहत किसी भी अभियोजन के संबंध में धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की जाती है और उस प्रक्रिया में राज्य द्वारा धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता लागू करके मंजूरी देने से इनकार कर दिया जाता है।

जो वस्तुतः नीचे दी गई काल्पनिक कल्पना को नकार देगा

धारा 48 जिसके द्वारा किसी सरकारी विभाग के विभाग के प्रमुख को अन्यथा 1974 के अधिनियम के तहत अपराध का दोषी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आवेदन का परिणाम

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 (2) द्वारा दी गई निर्भरता का सहारा लेकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 सीधे 1974 के अधिनियम की धारा 48 के साथ टकराव करेगी और इसके परिणामस्वरूप 1974 के अधिनियम की धारा 60 स्वतः ही लागू हो जाएगी जिसका 1974 के अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम पर प्रबल प्रभाव पड़ता है।

10. इस न्यायालय के बाद के निर्णय में, कर्नाटक राज्य

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड v. बी. हीरा नाइक 2, यह देखा गया कि शहर नगर परिषद के आयुक्त और शहर नगर परिषद के मुख्य अधिकारियों को जल अधिनियम की धारा 48 के उद्देश्यों के लिए सख्ती से "विभागों के प्रमुख" नहीं कहा जाएगा। हालांकि यह माना गया कि ऐसे अधिकारी अभी भी जल अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत आएंगे। शिकायत को रद्द करने का उच्च न्यायालय का फैसला

इस प्रकार इसे दरकिनार कर दिया गया और संबंधित मजिस्ट्रेट को शिकायत के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया।

11. इस न्यायालय के इन फैसलों से जो सामने आता है वह हैः

यदि जल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था

ए।

जल अधिनियम की धारा 48 के तहत आवश्यकताओं की संतुष्टि के अधीन, "विभाग के प्रमुख" को दोषी माना जाएगा। यह निश्चित रूप से उन बचावों के अधीन होगा जो उपलब्ध हैं उसे यह स्थापित करने के लिए कि क्या विचाराधीन अपराध था

उसकी जानकारी के बिना किया गया या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

वी. सी. चिन्नाप्पा में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर

बी।

गौड़ (सुप्रा), जल अधिनियम की धारा 48 के तहत काल्पनिक होने के कारण, संहिता की धारा 197 के तहत संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा और मामला होना चाहिए

इस तरह के संरक्षण माना जाता है।

2 (2020) 16 एस. सी. सी. 298 नूरुल्ला खान बनाम।

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड [उदय उमेश ललित, जे.]

यदि संबंधित लोक सेवक मुख्य अधिकारी होता है

सी.

या नगर परिषद या नगर पंचायत के आयुक्त, उन्हें सख्ती से "सरकार के विभाग का प्रमुख" नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, बी. हीरा नाइक (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में, मामला जल अधिनियम की धारा 48 के तहत नहीं आएगा। लेकिन बात आएगी।

सीधे जल अधिनियम की धारा 47 के तहत। के अनुसार

उक्त निर्णय, ऐसे मामलों में भी, जल अधिनियम की धारा 47 के तहत उपलब्ध काल्पनिक धारणा लोक सेवक को संहिता की धारा 197 के तहत संरक्षण से वंचित कर देगी।

डी।

यदि अपराधी लोक सेवकों के अलावा अन्य हैं या जहां

प्रमुख अपराधी निजी क्षेत्रों में निगमित संस्थाएं हैं, धारा 197 के तहत संरक्षण का सवाल ही नहीं उठेगा।

12. यदि हम इन अभिधारणाओं के आलोक में वर्तमान मामले पर विचार करते हैं, तो मामला पूरी तरह से इस न्यायालय के फैसले के दायरे में आता है।

बी. हीरा नाइक (सुप्रा)।

13. इसलिए, उच्च न्यायालय निचली अपीलीय अदालत के निर्णय को दरकिनार करने में सही और उचित था, जो विशुद्ध रूप से संहिता की धारा 197 की प्रयोज्यता के मुद्दे पर आधारित था। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को निचली अपीलीय अदालत को भेज दिया।

14. इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं और इस अपील को खारिज करते हैं।

15. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि तत्काल मामले को उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा लागू होने के दृष्टिकोण से निपटाया गया था

संहिता की धारा 197 और मामले पर, छूट के बाद, विशुद्ध रूप से अपने गुण-दोष पर विचार किया जाएगा।

अंकित ज्ञान

या

चिका खारिज कर दी गई।